भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4971
सोमवार, 23 मार्च, 2026/02 फाल्गुन, 1947 (शक)

चंडीगढ़ प्रशासन में रोजगार

4971. श्री मनीश तिवारी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान रोजगार कार्यालय चंडीगढ़ में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त पंजीकृत अभ्यर्थियों को चंडीगढ़ प्रशासन विभागों में अस्थायी/संविदा/आउटसोर्स आधार पर किस प्रकार रोजगार प्रदान किया गया;
(ग) क्या उक्त प्रशासन ने कोई नियम/आदेश जारी किया है जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि आउटसोर्स की गई 20-25 प्रतिशत भर्तियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जानी चाहिए;
(घ) यदि हां, तो उक्त नियम/आदेश का ब्यौरा क्या है; और
(ड) आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालय, चंडीगढ़ में कुल 8703 व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया है और चालू वर्ष के दौरान 184 व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया है। वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैं: -

वर्ष	**पंजीकरण**
2021	1870
2022	1443
2023	2268
2024	1679
2025	1443
2026 दिनांक 16.03.2026 तक	184

(ख): पंजीकृत अभ्यर्थियों को चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों के साथ-साथ निजी क्षेत्र को उनसे प्राप्त मांगों के लिए प्रायोजित किया जाता है। अभ्यर्थियों को नियोक्ता, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से प्राप्त मांग में निर्धारित पात्रता मानदंड, वरिष्ठता और अन्य शर्तों के अनुसार सख्ती से प्रायोजित किया जाता है। हालांकि, पंजीकृत उम्मीदवारों का कोई भी नाम आउटसोर्स आधार पर प्रायोजित नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ): वर्तमान में, ऐसे कोई नियम/निर्देश नहीं हैं।

(ङ): आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा नियमों के अनुपालन की निगरानी चंडीगढ़ प्रशासन के संबंधित विभागों द्वारा, आउटसोर्सिंग अनुबंध/समझौते के नियमों और शर्तों तथा चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, और लागू नियमों तथा प्रावधानों के अनुरूप की जाती है।

*****